

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या— पी०आर० ०५ / 2025

इन्टरमीडिएट/ माध्यमिक वार्षिक एवं कम्पार्टमेन्टल एवं विशेष परीक्षा, 2024 में समिलित  
परीक्षार्थियों के अंक पत्रादि एवं मूल प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक सूचना :

एतद् द्वारा राज्य के माध्यमिक/+2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, इन्टरमीडिएट/ माध्यमिक वार्षिक एवं कम्पार्टमेन्टल एवं विशेष परीक्षा, 2024 में समिलित परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा० शि०) तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्ष की परीक्षा में समिलित परीक्षार्थियों का अंक पत्रादि एवं मूल प्रमाण पत्र समिति द्वारा निर्गत किया जा चुका है। परीक्षा संचालन के क्रम में परीक्षार्थी के निर्गत पंजीयन/ सूचीकरण प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र में त्रुटि सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन करने हेतु समिति द्वारा विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से कई बार अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद कतिपय छात्र/छात्राओं/उनके अभिभावक/शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से अभी भी अंक पत्रादि/मूल प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार करने हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

2. वैसे छात्र/छात्रा जिनके उक्त वर्ष की परीक्षा से संबंधित निर्गत अंक पत्रादि/मूल प्रमाण पत्र में लघु/दीर्घ त्रुटि रह गई है, उनके लिए छात्रहित को ध्यान में रखते हुए त्रुटि सुधार कराने के लिए समिति के प्रमण्डलीय क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन साक्ष्य सहित समर्पित/जमा करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है।

3. ऐसे छात्र/छात्रा अपने अंक पत्रादि/मूल प्रमाण पत्र में लघु/दीर्घ त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु संगत साक्ष्य की स्वसत्यापित छायाप्रति तथा प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के माध्यम से शपथ—पत्र (Affidavit) की मूल प्रति के साथ अपना आवेदन शिक्षण संस्थान/विद्यालय/+2 विद्यालय के प्रधान के पास जमा करेंगे।

4. छात्र/छात्रा द्वारा त्रुटि सुधार हेतु जमा किये गये आवेदन एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्य की जाँच शिक्षण संस्थान/विद्यालय के प्रधान अपने शिक्षण संस्थान में संधारित अभिलेख यथा—पंजीयन/सूचीकरण एवं प्रवेश पत्र निर्गत से संबंधित पंजी (रजिस्टर), मूल नामांकन पंजी एवं क्रॉस लिस्ट (टी०आर०) आदि से करेंगे तथा सत्यापनोपरांत अपनी स्पष्ट अनुशंसा/मतव्य के साथ आवेदन को अग्रसारित कर छात्र/छात्रा को हस्तगत करा देंगे।

5. शिक्षण संस्थान/+2 विद्यालय के प्रधान द्वारा सत्यापित आवेदन की प्रति (वर्णित साक्ष्य/अभिलेख सहित) के साथ छात्र/छात्रा अपने अंक पत्रादि में लघु/दीर्घ त्रुटि सुधार/संशोधन के लिए निर्धारित शुल्क एवं साक्ष्य के साथ समिति के प्रमण्डलीय क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित काउन्टर पर जमा करेंगे एवं प्राप्ति रसीद ले लेंगे। तत्पश्चात् अंक पत्रादि में संशोधन की कार्रवाई होने के उपरान्त छात्र/छात्रा अपना संशोधित/त्रुटिरहित अंक पत्र/औपबंधिक प्रमाण पत्र/मूल प्रमाण पत्र (जिसके लिए आवेदन किया गया है) की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

6. सभी प्रमण्डलीय क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव को निदेश दिया जाता है कि छात्र/छात्राओं के द्वारा जमा किये गये आवेदन तथा उसके साथ संलग्न साक्षों की भली—भत्ति जाँच कर त्रुटिसुधार/संशोधन हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन स्वीकार करना सुनिश्चित करेंगे एवं छात्र/छात्राओं को प्राप्ति रसीद निर्गत करेंगे। तदोपरान्त समर्पित आवेदन के आलोक में अपेक्षित संशोधन की कार्रवाई समिति के स्तर पर DMS के माध्यम से अविलंब करते हुए संबंधित छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि निर्गत किया जाएगा।

7. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित कार्य के संबंध में जिलान्तर्गत मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/+2 स्तर के सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान को अपने स्तर से सूचित करने की कृपा किया जाए।

१३/१०/२५

०९.०१.२५

परीक्षा नियंत्रक (मा०)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

०९.०१.२५

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

P.T.O

१०.०१.२५

०९.०१.२५

०९.०१.२५

०९.०१.२५

०९.०१.२५

ज्ञापांक : BSEB(SS)/KEN.....29/2025,

पटना, दिनांक : 09/01/2025

प्रतिलिपि: 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. सभी प्रमंडलीय प्रभारी पदाधिकारी, परीक्षा प्रशास्त्रा (उ०मा०/मा०), सभी परीक्षा प्रशास्त्रा (उ०मा०/मा०) के प्रशास्त्रा पदाधिकारी/सभी कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक, आई०टी०/सिस्टम एनालिस्ट (उ०मा०/मा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सभी उप सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ प्रेषित। वर्णित आलोक में अनिवार्य रूप से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाय।
5. उप सचिव, DMS, उप सचिव, OFSS, वित्त पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
7. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई०टी० को सूचनार्थ प्रेषित।

MB  
9/1/2025

परीक्षा नियंत्रक (मा०)  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

MF  
09/01/25

09.01.25.  
परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

M  
9/1/25

9/1/25

B.S.M.  
9/1/25